



प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2026**

विषय:- दिनांक 08 अगस्त, 2026 को 42वां भोजपुरी महोत्सव आयोजन के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 994/सं०नि०-15(34)/2023-24, दिनांक 17 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 अगस्त, 2026 को 42वां भोजपुरी महोत्सव का आयोजन विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह लोक निर्माण मुख्यालय, लखनऊ में किया जा रहा है जिसमें कलाकारों को प्रायोजित किये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०	कलाकार का नाम/ श्रेणी / कार्यक्रम	कलाकार का ग्रेड/ कार्यक्रमों की संख्या	विधा	मानदेय (किराया सहित)
1	सुश्री कल्पना पटवारी, मुम्बई	अतिविशिष्ट श्रेणी/ प्रथम	भोजपुरी गायन	5,00,000.00
2	श्री गोपाल राय, बलिया	विशिष्ट श्रेणी/ प्रथम	भोजपुरी लोक गायन	1,00,000.00
3	श्री सुरेश प्रसाद कुशवाहा, लखनऊ	बी हाई श्रेणी/ द्वितीय	लोक गायन	45,000.00
योग (रूपये छः लाख पैंतालीस हजार मात्र)				6,45,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 08 अगस्त, 2026 को 42वां भोजपुरी महोत्सव आयोजन के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रमों हेतु **रु० 6.45 लाख (रूपये छः लाख पैंतालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें / प्रतिबंध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
- (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
- (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।**

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।